



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट-1

स्थान मानचित्र एवं आवासीय भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा

भूखण्ड संख्या 30

योजना का नाम- कीर्ति सागर-ए (ग्राम-बदरवास)

(निजीस्वातेदारी/ स.स./ जविप्रा) मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि.

भू-उपयोग-आवासीय

भूखण्ड का क्षेत्रफल- 904.44 वर्गगज

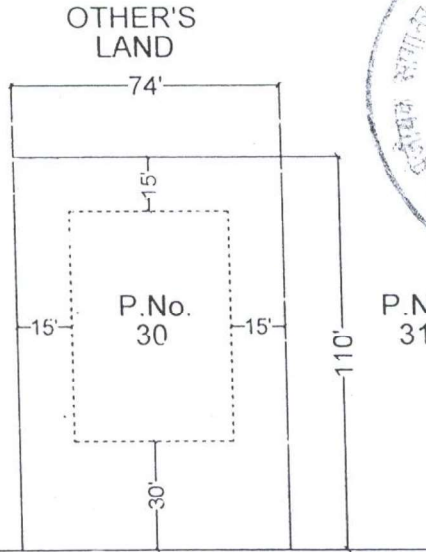
F.A.R : 1.2

स्केल : 1 इंच = 50 फीट

उत्तर



P.No. 29-A



P.No. 31

ROAD 24.0 MTR WIDE

इस भूखण्ड पर आवासीय भवन का निर्माण निम्नांकित मापदण्डों के अनुसार किया जा सकेगा।

(अ) सेट बैक्स

1. सामने 30'-0"
2. पीछे 15'-0"
3. साइड- I 15'-0"
4. साइड- II 15'-0"

(ब) अधिकतम ऊँचाई नियमानुसार

(स) निर्माण अवधि : 5 वर्ष

(द) भवन निर्माण के लिए आवश्यक अन्य मानदण्ड भवन विनियमानुसार होंगे। (द)

नोट- यह स्वीकृति निर्मित क्षेत्र को नियमानुसार नियमबद्ध करने पर तथा नियम विरुद्ध क्षेत्र को हटाने के पश्चात् लागू होगी।
तथा उक्त भवन स्वीकृति 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर ही लागू होगी।

कनिष्ठ अभियंता
- जोन संख्या - 18

स.न.नि. सहा. उप नगर नियोजक
जोन संख्या - 18

उपायुक्त
जोन संख्या - 18

ज.वि.प्रा., जयपुर



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

परिशिष्ट-1

स्थान मानचित्र एवं आवासीय भूखण्ड पर भवन निर्माण हेतु अनुज्ञा

भूखण्ड संख्या - 31

योजना का नाम - कोर्त सागर-ए (ग्राम-बदरवार)

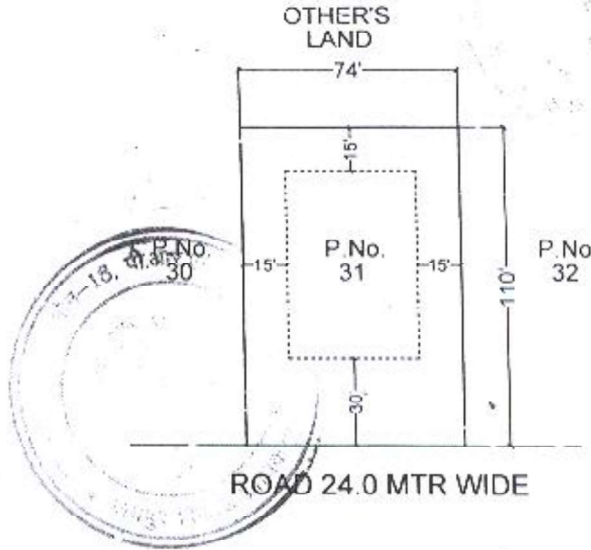
(निर्जीवांतकारी / सं. प्र. / ज. वि. प्र.) मीनावाला गृह निर्माण सहकारी समिति लि.

नू-उपयोग-आवासीय

भूखण्ड का क्षेत्रफल- 904.44 वर्ग मी.

F.A.R. 1.2

स्केल : 1 इंच = 50 फीट



इस भूखण्ड पर आवासीय भवन का निर्माण निम्नांकित मापदण्डों के अनुसार किया जा सकेगा।

(अ) सेट बैक्स

1. सामने 30'-0"

2. पीछे 15'-0"

3. साइड- I 15'-0"

4. साइड- II 15'-0"

(ब) अधिकतम ऊँचाई नियमानुसार

(स) निर्माण अवधि : 5 वर्ष

(द) भवन निर्माण के लिए आवश्यक अन्य मानदण्ड भवन विनियमानुसार होंगे। (द)

नोट- यह स्वीकृति निर्मित क्षेत्र को नियमानुसार नियमबद्ध करने पर तथा नियम विरुद्ध क्षेत्र को हटाने के पश्चात् लागू होगी।
तथा उक्त भवन स्वीकृति 500 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर ही लागू होगी।

कनिष्ठ अभियंता

जोन संख्या - 18

स.न.नि. / सहायक उप निरीक्षक

जोन संख्या - 18

उप निरीक्षक

जोन संख्या - 18

ज. वि. प्र., जयपुर